न/विविध (सात निश्चय पार्ट-3) – 22/25 (पार्ट-2 संचिका)

पत्रांक–.....15........../रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव।

सेवा में,

ई-मेल

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी समाहर्त्ता,
सभी अपर समाहर्त्ता,
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सभी अंचलाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक:–**16 जनवरी, 2026**

विषय :– राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) की व्यवस्था को लोक उपयोगी, प्रभावशाली एवं जनहित के लिए लक्षित बनाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक–3/सी0एम0/एम0–27/2018–83 दिनांक–09.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार द्वारा दिनांक–16.12.2025 के प्रभाव से सात निश्चय–3 (2025–2030) लागू करते हुए स्तंभ–7 के अंतर्गत **"सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living)"** सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त है। इस स्तंभ के अंतर्गत आधुनिक तकनीक, नवाचार के प्रयोग से प्रशासनिक व्यवस्था को लोक उन्मुखी, जन उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने पर विशेष बल दिया गया है। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम जो पटना जिला से प्रारंभ किया गया एवं अबतक छः प्रमण्डल यथा–पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णियाँ एवं लखीसराय (मुंगेर प्रमण्डल) में नागरिक वार्तालाप (Citizen Dialoge) के दौरान राजस्व प्रशासन से जुड़ी कई समस्याओं से रूबरू होकर निदान करने का सतत् प्रयास किया गया। उक्त के क्रम में मुख्य सचिव, बिहार के प्रासंगिक पत्र द्वारा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़, संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाने संबंधित निर्देश प्राप्त है। उक्त पत्र की कंडिका–I में यह निहित है कि :–

क. सभी राजस्व प्रशासन से जुड़े पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह के दो कार्य दिवस यथा– (i) सोमवार (ii) शुक्रवार को कार्यालय में उपस्थित रहकर लोक शिकायत सुनेंगे।

ख. सभी राजस्व कार्यालयों में आमजनों से सम्मानपूर्वक व्यवहार (Respectful & Civil) अपेक्षित है।

ग. सभी राजस्व कार्यालयों में आवश्यक जरूरी सुविधाएँ यथा–पेयजल, शौचालय इत्यादि की उपलब्धंता सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय से अलग से आवंटन भेजी जा रही है।

घ. आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों का डिजिटल संधारण सुनिश्चित किया जाए ताकि उसके निदान एवं निराकरण सुगम प्रणाली से की जा सके।

ङ. प्रमण्डलीय आयुक्तों को अपने प्रमण्डल एवं समाहर्त्ताओं को अपने क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) में राजस्व प्रशासन को नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़ी कठिनाईयों को कम करने एंवं जीवन का स्तर बढ़ाने में आवश्यक नेतृत्व प्रदान करने की विशेष जिम्मेवारी रहेगी।

यह व्यवस्था 19 जनवरी, 2026 (सोमवार) से लागू होगा।

विश्वासभाजन

15/01/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव